न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 72/2025 G.C.M.S. No. 2025/351 दर्ज दिनांक : 20.06.2025

अपीलार्थी:

1. हीराराम पुत्र उदाराम, जाति कलबी, निवासी हरमू, तहसील सायला, जिला जालोर।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. बाबूलाल पुत्र निम्बा
2. दलाराम पुत्र निम्बा
3. गटूदेवी पुत्री निम्बा
4. नेनूदेवी पत्नि निम्बा
5. सीतादेवी पुत्री निम्बा
6. खसाला पुत्र पूराजी, जातियान कलबी, निवासीगण हरमू, तहसील सायला, जिला जालोर।
7. शाखा प्रबंधक, आरएमजीबी शाखा बागोडा, तहसील बागोडा व जिला जालोर।
8. शाखा प्रबंधक, एसबीआई बैंक शाखा सायला, तहसील सायला, जिला जालोर।
9. भूमिधारी जरिये तहसीलदार सायला, तहसील सायला, जिला जालोर।

<u>परफॉर्मा रेस्पोंडेंट</u>

10. तलछा पुत्र जवाना
11. देरामा पुत्र जवाना
12. राजाराम पुत्र उदाराम
13. हडमताराम पुत्र उदाराम
14. हरजी पुत्र जवाना, जातियान कलबी, निवासीगण हरमू, तहसील सायला व जिला जालोर।

<u>अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर सायला द्वारा राजस्व वाद संख्या 58/2023 बअनवान बाबुलाल वगैरह बनाम तलछा वगैरह में पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 16.05.2025</u>

<u>पैरोकार</u>–

1. श्री सुरेन्द्र दवे, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री केराराम चौधरी, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट 1 से 6

निर्णय

दिनांक: 31.12.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर सायला द्वारा राजस्व वाद संख्या 58/2023 बअनवान बाबुलाल वगैरह बनाम तलछा वगैरह में पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 16.05.2025 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

Scanned with OKEN Scanner

यह कि सहायक कलक्टर सायला के यहां वादीगण बाबूलाल, दलाराम, पुत्रगण निम्बा, गट्टुदेवी पुत्री निम्बा, नेनूदेवी पत्नी निम्बा, सीतादेवी पुत्री निम्बा, जातियान कलबी ने अपीलान्ट व अन्य रेस्पोंडेन्ट के खिलाफ एक दावा धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् पेश किया। जिसमें मौजा हरमू पटवार हल्का तिलोडा, तहसील सायला के वर्तमान खसरा नम्बर–395 रकबा 0.01 हैक्टर, गै.मु. बेरा, खसरा नम्बर–996 रकबा–5.23 हैक्टर किस्म चाही सोयम खसरा नम्बर–933 रकबा 0.20 हैक्टर, किस्म गै. मु. रास्ता, खसरा नम्बर–634 रकबा 0.01 हैक्टर, किस्म गै.मु. बेरा, खसरा नम्बर–637 रकबा 0.05 हैक्टर, किस्म गै.मु. ढाणी, खसरा नम्बर–638 रकबा 0.09 हैक्टर, किस्म गै. मु. ढाणी, खसरा नम्बर–639 रकबा 0.01 हैक्टर, किस्म गै. मु. बेरा खसरा नम्बर–640 रकबा 3.55 हैक्टर, किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर–641 रकबा 3.13 हैक्टर, किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर–642 रकबा 1.85 हैक्टर, किस्म चाही सोयम कुल खसरा–10 कुल रकबा 14.13 हैक्टर की आराजी का बंटवाड हेतु दावा पेश किया। प्रकरण में अणसीदेवी व देसूदेवी भी वाद के वक्त वादीगण थें। उन्होंने अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा खसालाराम पुत्र पुराजी कलबी निवासी हरमू को हकतर्क कर देने से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश–01 नियम–10 के तहत इनका नाम विलोपित कर दिया गया एवं खसालाराम को बतौर प्रतिवादी जोडा गया। प्रकरण में प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड सूचना मिलने के बावजूद भी उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा प्रतिवादी सं. 07, 8, 9 का जवाब बन्द कर दिया गया एवं वादीगण की साक्ष्य लेकर पत्रावली में प्राथमिक डिक्री दिनांक 23.01.2025 को पारित कर दी गई एवं दिनांक 16.05.2025 को अन्तिम डिक्री पारित कर दी गई। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की गई हैं कि अपीलान्ट का वादग्रस्त आराजी में पक्का मकान पिछले कई वर्षों से बना हुआ है जिसका फोटोग्राफ अपील के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है जो पक्का मकान है एवं अपीलान्ट का भू–भाग पर कब्जा काश्त है क्योंकि आराजीयात का बंटवाडा मौखिक रूप से पूर्व में भाईयों के बीच में हो रखा था फिर भी निर्णय व डिक्री जैर अपील गलत रूप से बगैर मौके की जांच किये पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की प्रोपर तामिल करवाये बगैर एक तरफा कार्यवाही अपीलान्ट के विरूद्ध कर दी गई जो कि नियम विरूद्ध है। अपीलान्ट को प्रोपर तामिल ही नहीं करवायी गई हैं एवं एकपक्षीय कार्यवाही भी गलत रूप से की जाकर निर्णय व डिक्री जैर अपील पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री में हुए विभाजन प्रस्ताव में पक्षकारों के हस्ताक्षर नहीं हैं। मात्र बाबूलाल, सीतादेवी व नेनूदेवी

राजस्व अपील प्राधिकारी

की ही उपस्थिति बताई हैं। अपीलान्ट को विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त किसी प्रकार का नोटिस नहीं दिया गया है, न ही मौके पर अपीलान्ट को बुलाया है। इस प्रकार अपीलान्ट को विभाजन प्रस्ताव के वक्त सूचित ही नहीं किया गया। दिनांक 07.01.2025 की आदेशिका में आदेश 1 नियम–10 सपठित धारा–151 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र जो वादीगण द्वारा पेश किया था उसे स्वीकार कर खसालाराम को बतौर प्रतिवादी पक्षकार संयोजित किया गया जिसे कब नोटिस दिया उसका कोई हवाला नहीं है। पक्षकार संयोजित करने के दिन ही खसालाराम की और से वकालतनामा अधिवक्ता द्वारा पेश किया जो अपने आप मे संदिग्धता दर्शाता है कि बगैर नोटिस खसालाराम को वाद का ज्ञान किस प्रकार से हुआ। मौका रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार सायला की उपस्थिति में नहीं बनाया जाकर कार्यालय में तहसीलदार सायला द्वारा हस्ताक्षर किये गये है जिससे प्रथम दृष्टया विभाजन प्रस्ताव कानून के विपरीत है एवं विभाजन प्रस्ताव के दौरान सभी पक्षकारों को नोटिस देना आवश्यक होते हुए भी अधिनस्थ न्यायालय के प्राथमिक डिक्री की पालना में मौका रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व तहसीलदार, पटवारी/आरआई द्वारा अपीलान्ट को किसी प्रकार की सूचना नहीं दी हैं। मौके पर अपीलान्ट का रहवास है एवं खडे बंट है जो आपस में मौखिक बंटवाडें के अनुसार कई वर्षों से चले आ रहे हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य पूर्व में हुए बंटवाडें के आधार पर विभाजन नहीं किया गया है, न ही अपीलान्ट का कब्जा काश्त एवं पक्का मकान होते हुए भी विभाजन प्रस्ताव/मौका रिपोर्ट में पक्के मकान का कोई हवाला नहीं दिया गया है। यानि मौके पर काबिज अनुसार बंटवाडा प्रस्ताव नहीं दिया गया है। अपीलान्ट को एकपक्षीय कार्यवाही का कभी भी ज्ञान नहीं रहा क्योकि अपीलान्ट को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया नोटिस मिला ही नहीं एवं न ही विभाजन प्रस्ताव/मौका रिपोर्ट में उपस्थित रहने का नोटिस मिला। अपीलान्ट को प्राथमिक डिक्री व अन्तिम डिक्री का ज्ञान 03.06.2025 को हुआ तब उसने नकले मांगी एवं अन्तिम डिक्री दिनांक 16.05.2025 व प्राथमिक डिक्री दिनांक 23.01.2025 का ज्ञान हुआ। तत्पश्चात अपीलांट द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की गई। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व अंतिम डिक्री अपास्त फरमावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी एवं उस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पॉडेंट द्वारा अपीलांट एवं दीगर रेस्पोंडेंट्स के विरूद्ध वादग्रस्त आराजीयात के बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 16.05.2025 द्वारा अंतिम डिक्री किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील दिनांक 20.06.2025 को अंदर म्याद प्रस्तुत की गई।

2. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजीयात के विभाजन बाबत दिनांक 23.01.2025 को प्राथमिक डिक्री पारित करते हुए वादग्रस्त आराजीयात का मुताबिक राजस्व रेकर्ड बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर मौके पर बंटवाड़ा कर राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए विभाजन प्रस्ताव प्रेषित करने के लिए तहसीलदार सायला को निर्देशित किया गया।

3. पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट है कि विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार सायला द्वारा तैयार किया गया है तथा विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पहले तहसीलदार सायला द्वारा पक्षकारान को तहसील कार्यालय से नोटिस क्रमांक/राज/25/160 दिनांक 12.03.2025 प्रेषित कर सूचित किया गया। तहसीलदार द्वारा भूमि की किस्म, सहखातेदार का हिस्सा को ध्यान में रखते हुए एवं पहुंच मार्ग का प्रावधान करते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। अपीलांट द्वारा यह उज्र लिया गया कि पक्षकारान के मध्य पूर्व में बंटवाड़ा हो रखा था। जिसके अनुसार मौके पर विभाजन नहीं किया गया, के संबंध में हमारे विनम्र मत में अपीलांट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है, जिससे यह साबित हों कि पक्षकारान के मध्य पूर्व में बंटवाड़ा हो रखा हों तथा मौके पर पक्षकारान किस रूप से काबिज, हिस्सा व भूमि की किस्म तथा पहुंच मार्ग को ध्यान में रखते हुए किया गया है। अर्थात मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के सिद्धांत का पालन करते हुए विभाजन किया गया है। जिसमें कोई त्रुटि साबित नहीं होती हैं तथा अपीलांट द्वारा लिए गए उज्र स्वीकार योग्य नहीं हैं।

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित नहीं होने एवं अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज/अस्वीकार किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

राजस्व अपील प्राधिकारी

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सायला द्वारा राजस्व वाद संख्या 58/2023 बअनवान बाबुलाल वगैरह बनाम तलछा वगैरह में पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 16.05.2025 की पुष्टि की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **31.12.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे-ए-इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली